

15-2-18

पत्रावली पेश हुई। प्रकाशन वकील उपस्थित  
है। वकील साक्षी ने उपस्थित होकर T.U. प्रकाश  
को आगे नहीं चलाने हेतु निवेदन किया है एवं  
इस बाबत Not Press भी किया है अतः Not Press  
में T.U. प्रकाश को भी रखा गया।  
इस बाबत सभाकेतु को सूचनाके पत्र दिखाने  
है। पत्रावली फंसल सुमार होकर इजे नबाब  
से कर है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया  
जाया। ७.

उप खण्ड अधिकारी  
साँभर लेक

Note Press

Atlag  
Adv.